राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 22.05.2020

परिपत्र

विषय :– कोविड–19 अवधि के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में विचाराधीन डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पीआईएल) 5618/2020 सुमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2020 की अनुपालना में आपराधिक प्रकरणों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में कोविड–19 रोग से बचाव हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया **(Standard Operating Procedure)** निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है :–

1. जिला स्तर पर कोविड केयर सेन्टर में पृथक से एक जेल वार्ड बनाया जाए।
2. पुलिस द्वारा गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को उक्त सेन्टर पर लाये जाने पर ऐसे व्यक्ति का कोविड–19 टेस्ट (आर.टी.पी.सी.आर.) अनिवार्य रूप व प्राथमिकता से किया जावे एवं यथा संभव जांच रिपोर्ट उसी दिन दिया जाना सुनिश्चित करावें।
3. आरटी–पीसीआर जांच का परिणाम नेगेटिव आने की स्थिति में पुलिस को अवगत करवा दिया जाये ताकि अभियुक्त को जेल/पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सके।
4. यदि आरटी–पीसीआर जांच का परिणाम **(Covid-Positive)** आता है तो ऐसे अभियुक्त को 21 दिन तक आईसोलेशन वार्ड में अलग करते हुए पृथक से रखे जाने की स्थिति से संबंधित प्राधिकारी को अवगत कराया जावे। संबंधित प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे अभियुक्त को आईसोलेशन वार्ड से शिफ्ट करने से पूर्व उसकी मेडिकल जांच द्वारा कोविड–19 संक्रमण के लक्षण नहीं होना सुनिश्चित किया गया है तथा आरटी–पीसीआर टेस्ट भी करवाया जावे।
5. संबंधित जेल का चिकित्सा अधिकारी जेल में बनाये गये आईसोलेशन बार्ड का सामयिक निरीक्षण कर वार्ड की साफ–सफाई एवं विसंक्रमित करने के लिए जेल प्राधिकारियों को आवश्यक सुझाव देगा एवं आईसोलेशन बार्ड में प्रतिदिन राउण्ड के दौरान चैकअप कर इसका रिकार्ड संधारित करेंगे।
6. जेल प्राधिकरण द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनकी सलाह से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रोग का संक्रमण जेल कार्मिकों व उनके परिवार में नहीं फैले। साथ ही 15 दिवस में नियमित रूप से Random बेसिस पर जेल कार्मिको व उनके परिवार की जांच की जावे।

22/05/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, महानिदेशक, राजस्थान पुलिस।
7. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार, राजस्थान।
8. निजी सचिवख् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
9. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
10. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राज.
12. प्रधानाचार्य नियंत्रण, मेडिकल कॉलेज, संलग्न चिकित्सालय।
13. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, संलग्न चिकित्सालय।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज./समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
15. प्रभारी–सर्वर रूम को वास्ते ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव